कार्यालय कलेक्टर,आदिवासी विकास शाखा बालोद (छ.ग.)

फैक्स नं. 07749-223915, ई—मेल—actwd.balod@gmail.com

क्र/ 1184 /आ.वि/ऑ.ला.पो.मे.छा./2024 बालोद दिनांक 24/12/2024

-:: सूचना प्रकाशन ::-

वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु पंजीयन की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक कालेज आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग** के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2024–25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in** वेबसाईट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2024–25 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है:–

क्र	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 01.01.2025 से 31.01.2025 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 01.01.2025 से 15.02.2025 तक
3	Senction Order Lock करने हेतु	दिनांक 01.01.2025 से 28.02.2025 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024–25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं Draft Praposal अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जायेंगे। इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार रहोंगे।

नोटः–

1. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं **आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि** ही करना सुनिश्चित करें।
2. सत्र 2024–25 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से **OTR की प्रविष्टि ऑनलाईन** आवेदन करते समय की जानी है। **OTR की प्रविष्टि** के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रकिया की जानकारी प्रदाय की जावेगी।
3. सत्र 2024–25 से संस्थाओं को जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार Geo-Tagging किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थओं द्वारा Geo-Tagging नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेगी।

Notice Board + Website
+ Miss Gayatri Netam

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बालोद

- 394 -\\Server\e\Narsingh Sahu\Memo Scholarship 2024.docx